



राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प. 1(4)वित्त/साविलेनि/2006

जयपुर, दिनांक : 19.4.2017

आदेश

विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-I के भाग-II में संशोधन।

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-I के भाग-II में निम्न संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं:-

The existing item (i) of sub-rule (3) of Rule 22 of GF&AR Part-II shall be substituted as under :

"(i) Motor Vehicles and Heavy Machinery and equipments : Subject to orders issued by the Government in case of particular department, the motor vehicle of all the departments will be auctioned by the Motor Garage Department through a committee constituted as under :

1. Controller, State Motor Garage Department, Rajasthan, Jaipur - Chairman
2. FA/CAO posted under G.A.D (Nominated by concerned Admn.Department) - Member
3. Sr. Most Accounts personnel of State Motor Garage Department - Member
4. Store Incharge (Technical Officer), State Motor Garage Department - Member Secretary"

आज्ञा से,

(रामावतार शर्मा)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
7. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
8. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
9. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
10. समस्त जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
11. समस्त विभागाध्यक्ष ।
12. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
14. नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज विभाग, राज., जयपुर।
15. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, राजस्थान।
16. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
17. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
18. विधि रचना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश/परिपत्र का हिन्दी अनुवाद करवाकर इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये ताकि हिन्दी अनुवाद प्रेषित किया जा सके ।
19. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावे।

(हरीश लड्डा)

मुख्य लेखाधिकारी

(GF&AR - 5 /2017)